

प्रेषक,

अब्दुल समद  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,  
उ०प्र० शासन।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2022**

**विषय:-** कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा निर्देश एवं उपाय।

महोदय,


कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकें जाने के सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग-3 के संलग्न आदेश संख्या-70/2022-सीएक्स-3 दिनांक 10.01.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह विभाग द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकें जाने के सम्बन्ध में दिये गये कतिपय निर्देशों में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह भी निर्देश दिया गया है कि समस्त सरकारी/निजी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर कार्य करेंगे एवं कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाये।

3- अतः अनुरोध है कि उक्त निर्देशों के साथ-साथ कोविड-19 के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत मानक दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

  
(अब्दुल समद)  
विशेष सचिव।

**संख्या- 84 (1) / सत्तर-3-2020, तददिनांक:**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ०प्र०।
- 3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय / निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेंद्र कुमार सिंह)

सचिव।

**वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर (उ०प्र०)**

Tel. No.: (05452) 252244

Web: www.vbspu.ac.in

Email:connectpuregistrar@gmail.com



पत्रांक : 2769 / पू.वि.वि. / कु०स० / 2022

दिनांक : 13 जनवरी, 2022

**प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. वित्तअधिकारी / परीक्षा नियन्त्रक।
2. समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / शिक्षकगण परिसर पाठ्यक्रम को इस आशय से कि उक्त सूचना से अवगत होते हुए अपने विभाग के कर्मचारियों का रोस्टर तैयार कराकर आदेशानुसार कार्यवाही करें।
3. समस्त प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बद्ध महाविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
4. समस्त सहायक कुलसचिव को इस आशय से कि अपने-अपने विभाग के कर्मचारियों का रोस्टर तैयार कराकर आदेशानुसार कार्यवाही करें।
5. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
7. समस्त प्रशासनिक अधिकारी / प्रभारी को इस आशय से कि अपने विभाग के कर्मचारियों का रोस्टर तैयार कराकर आदेशानुसार कार्यवाही करें।
8. गार्ड फाइल।

  
कुलसचिव

पत्र

शुभं शक्यं मे,  
मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सहा में

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।  
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक इंज. उत्तर प्रदेश।  
पुलिस आयुक्त, लखनऊ / गोरखपुर/कानपुर/वादागरी।  
समस्त जिलाधिकारी/परिष्ठा पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/मुख्य सिविलसाधिकारी, उत्तर प्रदेश

गृह (गोपन) अनुभाग-3


लखनऊ दिनांक 10 जनवरी 2022

विषय- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोकने के संबंध में।

महोदय,

कृपया गृह (गोपन) अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1054/2021-सीएक्स-3 दिनांक 19.01.2022 अथवा संख्या-2141/2021-सीएक्स-3 दिनांक 24.12.2021, आदेश संख्या-15/2022-सीएक्स-3 दिनांक 04.01.2022 अथवा संख्या-34/2022-सीएक्स-3 दिनांक 05.01.2022 तथा आदेश संख्या-69/2022-सीएक्स-3 दिनांक 09.01.2022 के क्रम में संश्लेषण विचारोपचारत वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत निम्नवत निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं-

- (1) हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर इनक वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग व एन्ट्रीज काटने का आवश्यकतापूर्वक आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाये यदि किसी घाटी की रिपोर्ट छद्मतापूर्ण पायी जाये एवं घाटी यदि लक्षणरहित है तो उन्हें पूर्ण रिस्कफ्री मानकर उपलब्ध कराने हेतु उचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनघन सार पर मंडित प्रत्यक्षिक व प्रडिजल टोन उन्मुख नुसार इन वाले व्यक्ति की स्क्रीनिंग कायम सुनिश्चित करणे एवं समुचित उपचार की व्यवस्था कराये। इन वाले को स्क्रीन न टेस्ट कराना चाहते है उनका भी टेस्ट कराया जाये आवश्यक होने से इन मामले में अलग से निर्देश जारी किये जा रहे है।
- (2) समस्त सरकारी कार्यालय निजी कार्यालय अड्डाकरण 32 एरियर कार्यवाही की प्रस्ताव के साथ समस्त ज आधार पर कार्य करणे एवं कार्यालय में कोविड हल्का हल्का अभियान सार स स्थापित किए जाये।
- (3) निजी कार्यालय के कार्यकारी यदि कोविड प्रभावित पाये जाते है तो उन्हें 14 दिन में इन अड्डाकरण को अड्डे के अंतर्गत या भी प्रस्ताव किया जाये जिससे उनके अधिकारी नहीं है।


  
 मुख्यालय  
 लखनऊ

संख्या-70(1), 2022 तपदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) प्रमुख स्टार ऑफिसर, मुख्य सचिव, उअप्र शासन।
- (3) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- (4) अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उअप्र शासन कृपया रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर वनात्मक आय शैलियों के उपयोग के सम्बन्ध में एचओडीसीओ जारी कराने का कष्ट करे।
- (5) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (7) डिवीजनल रेल प्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश रेलवे लखनऊ/डिवीजनल रेल प्रबन्धक, महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश रेलवे प्रबन्धक एवं डिवीजनल रेल प्रबन्धक, महाप्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर।

श्री अरुण  
11/1/22

आदेश से  
  
 [अधीनस्थ कुतार लखनऊ]  
 अपर मुख्य सचिव